रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1922] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2012/आश्विन 3, 1934

No. 1922] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2012/ASVINA 3, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2012

का.आ. 2296(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय प्रारूप नियम, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 562(अ), तारीख 16 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां तारीख 16 जुलाई, 2012 को जनसाधारण को उपलबध करा दी गई थीं।

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस विभाग को जनसाधारण से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2012 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 के नियम 110 में,-
   (क) उप-नियम (2) में मौखिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के सामने अंको "100" के स्थान पर अंक "50" रखे जाएंगे;

   (ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्र 1 और पत्र 2 में न्यूनतम पचास अंक प्राप्त करना अपेक्षित होगा और उसे परीक्षा में तभी सफल घोषित किया जाएगा जब वह पूर्णांक का कुल मिलाकर साठ प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करता है।"

[फा. सं. 14/01/2012-आईपीआर-III]
डी.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम भारत का राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 493(अ), तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 1418(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था और अधिसूचना संख्या का.आ.657(अ), तारीख 5 मई, 2006 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2012

S.O. 2296(E).— WHEREAS, certain draft rules were published in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), vide notification of the Government of India in Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), number S.O. 562(E), dated the 16th July, 2012, in the Gazette of India, Extraordinary inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 16th July, 2012;

AND WHEREAS, no objection or suggestion has been received from the public on the said draft rules, by this Department.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Patents Rules, 2003, in rule 110,-

(a) in sub-rule (2), against the paper relating to *Viva voce*, for the figures "100", the figures "50" shall be substituted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) A candidate shall be required to secure a minimum of fifty marks in paper I and Paper II and shall be declared to have passed the examination only, if he obtains an aggregate of sixty per cent of the total marks.".

[F. No. 14/01/2012-IPR-III]

D.V. PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number S.O. 493(E), dated the 2nd May, 2003 and were subsequently amended *vide* notification number S.O. 1418(E), dated the 28th December, 2004 and were last amended *vide* notification number S.O. 657(E), dated the 5th May, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.